महत्वपूर्ण एवं खास

बिलासपुर में एक हॉस्पिटल सील, विदेश से लौटे चिकित्सक के पुत्र ने बरती लापरवाही

» बिना आईसोलेशन में जांच कराए माता-पिता से मिलने पहुंचा घर

रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर में पुलिस और प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमित को रोकने के लिए अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। विदेश से लौटाने के बाद आइसोलेशन में रहने के बजाए परिजनों से मिलने व मरीजों के उपचार करते पाये जाने के आरोप में बुधिया हॉस्पिटल के संचालक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए। उनके हॉस्टिल को 20 अप्रैल तक सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल के संचालक का बेटा अमेरिका से लौटा है। बता दे कि बेटे के उपचार के दौरान कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं मिले लेकिन सतर्कता बरतते हुए विभाग ने विदेश से लौटे डॉक्टर के पुत्र को आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके आइसोलेशन में न रहकर अपने परिजनों से मिलने पहुंचा। डॉक्टर पिता मरीजों का उपचार में लगे रहे। शिकायत पर स्वास्थ विभाग ने सख्त रवैय्या अपनाते हुए बुधिया हॉस्पिटल को 20 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है।

42 पाव अंग्रेजी शराब जब्त

रायपुर (आरएनएस)। शहर में शराबियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मौदहापारा थाने से मिली जानकारी के अनुसार पुष्पराज यादव आयु 26 वर्ष पिता सूर्यपाल यादव निवासी अशोक हेरिटेज होटल के पास से 42 पाव अंग्रेजी शराब अवैध रूप से ले जाते हुए जब्त की गई है। उक्त मामले में मौदहापारा थाने ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया है।

अवैध रूप से चाकू रखने वाले गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। शहर में अवैध रूप से हथियार रखने वाले बिना लाइसेंस के घूमने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। गंज थाना से मिली जानकारी के अनुसार अल्ताफ राजा उम्र 21 वर्ष पिता मोहम्मद असलम निवासी रेलवे स्टेशन गेट नंबर दो के पास से अवैध रूप से चाकू रखे होने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार देव नायक आयु 15 वर्ष पिता बंटा नायक निवासी तेलघानी नाका चौक से अवैध रूप से चाकू रखने पर गंज थाना ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला कायम कर उसे गिरफ्तार किया है।

लॉकडाउन में खुले 5 दुकानों को तहसीलदार ने किया सील,जुर्माना भी लगाया

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में 31 मार्च तक जारी लॉकडाउन के बाद भी तिल्दा तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने पांच दुकानों को सील किया है। इनता ही नहीं सभी दुकानदारों पर जुर्माना भी किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शासन के आगामी आदेश तक अपनी दुकानें बंद ही रखें। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 31 मार्च तक शहरों को लॉकडाउन किया है। लोगों को घर के भीतर ही रहने की अपील की है। केवल आवश्यक सेवाएं ही इस दौरान जारी रहेगी। इन सेवाओं में किराना स्टोर्स, मेडिकल और फल दुकाने खुले रहेंगे। इनता ही नहीं सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

डायल-112 के ई.आर.व्ही. एवं कंट्रोल रूम के वाहनों में सेनेटाईजर रखने के निर्देश

रायपुर। कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर डायल-112 के ई.आर.व्ही. एवं कंट्रोल रूम के वाहनों में सेनेटाईजर रखने के निर्देश दिए गए है। पुलिस मुख्यालय से आज जारी आदेश में कहा गया है कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही सहित जिलों में डायल-112 के 240 वाहन संचालित है। इन वाहनों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त घायलों एवं अन्य लोगों की लगातार सहायता की जा रही है। इसी तरह जिलों में कंट्रोल रूम के वाहन या थानों के वाहन द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है। ड्यूटी के दौरान अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आना स्वाभाविक है। इन वाहनों के पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा के लिए सेनेटाईजर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। दूसरों की सहायता करने वाले पुलिसकर्मी मास्क एवं ग्लाउज अवश्य पहनें। पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश, दिशा-निर्देशों का कड़ाई से हो पालन

» स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और सीएमएचओ के साथ कोविड-19 के नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा कर कोविड-19 का संक्रमण रोकने किए गए उपायों की समीक्षा की।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम-क्वारेंटाइन में रह लोगों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने क्वारेंटाइन के मानकों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने कहा। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों को 3-प्लाई और एन-95 मास्क तथा पी.पी.ई. (Personal Protection Equipment) का जरूरत के मुताबिक ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुरक्षित रखने कहा। उन्होंने जिले की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता

की समीक्षा कर कोविड-19 का संक्रमण रोकने तथा इलाज की सभी तैयारियां रखने के बारे में भी आवश्यक निर्देश दिए।

श्रीमती सिंह ने कहा कि आई.सी.एम.आर. (Indian Council of Medical Research) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच की व्यवस्था की जा रही हैं। उन्होंने दिशा-निर्देशों के अनुसार सैंपल संकलित करने के साथ ही जिनका सैंपल भेजा जा रहा है, उनके बारे में पूरी जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में भेजने कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर पूरी सावधानी के साथ सैंपल संकलित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने मास्क के उपयोग के बाद मानकों के अनुसार इसका समुचित डिस्पोजल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में बताया कि कोरोना वायरस का समुदाय में फैलाव रोकने टीम बनाकर व्यापक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अगुवाई में इसके लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग और चिप्स के अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी। उन्होंने दूसरे राज्यों की सीमा से सटे जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर खास निगरानी के निर्देश दिए।

रायपुर शहर चारों दिशाओं से किया गया सील

» शहर में प्रवेश और निकासी के सभी मार्ग बंद

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर में कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए राजधानी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। शहर के बार्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

शहर में किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और न ही शहर से किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रायपुर के टाटीबंध चौक, भनपुरी तिराहा, धरसींवा, जीरो प्वाइंट, तेलीबांधा चौराहा, माना बस्ती, टाटीबंध चौक, महादेवघाट, अमलेश्वर चौक, रायपुरा चौक आदि को सील कर दिया गया है। इन मार्गों में किसी भी प्रकार से आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां तक की स्थानीय लोगों को भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी तरह बेवजह सड़कों पर घूम

रहे लोगों पर भी पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर में आज कई चौराहों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। पुलिस ने बाइकर्स पर भी सख्ती बरतते हुए सड़क पर घूम रहे लोगों को खदेड़ा गया। शहर में बेवजह दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों को भी समझाईश देकर दुकान बंद कराया गया है। केवल राशन, अनाज भंडार, मिल्क पार्लर, दवाई दुकान, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, नर्सिंग होम आदि को छूट दी गई है।

सामाजिक संस्था व डॉ त्रिवेदी होमियोपैथी ने बांटे मास्क, सैनिटाइजर व निःशुल्क दवा

रायपुर (आरएनएस)। बरसाना एनक्लेव रायपुर में स्पर्श एक कोशिश सामाजिक संस्था के आग्रह पर डॉ त्रिवेदी होमियोपैथी के चिकित्सक डॉ उत्कर्ष त्रिवेदी द्वारा कोरोनावायरस के बारे में जानकारी व लक्षण बता कर उससे बचने के उपाय बताकर रोग प्रतिरोधक दवाई फेस मास्क और सेनीटाइजर वितरित की गई।

इसके अलावा आज ही के दिन 2 बस्तियों में भी यह वितरित किया गया। यह अभियान 8 दिन से चल रहा है जिसमें प्रतिदिन एक हजार के करीब मास्क, सैनिटाइजर और दवाई दी जाती है डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि ,करोना जैसी महामारी से सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा इलाज है करोना जैसी बीमारी से जागरूक रहना है ना की दहशत में आकर अपने आप को किसी भी मानसिक परेशानी में डालना है।

करोना से बचने का सबसे सही इलाज आप शारीरिक रूप से सावधानी तो बरतें पर मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का टेंशन इस बीमारी को लेकर ना करें। यह संस्था प्रतिदिन सुरक्षाकर्मियों के लिए खाना और चाय नाश्ते का इंतजाम घर से कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब एक मई से होंगी लागू

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के उपायों के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे बढ़ाकर अब एक मई कर दिया गया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना व वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें एक मई 2020 से प्रभावशील होंगी।

कोरोना वायरस (कोविड-19) को कड़ी टक्कर दे रहे प्रदेश के सभी नगरीय निकाय

» 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियाँ ऐसी परिस्थितियों में भी प्रतिदिन घर-घर से उठा रहीं 16 लाख किलो कचरा

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी में जहां चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला 24'7 जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में एक अदृश्य फौज भी कार्य कर रही है। जी हाँ, ये अदृश्य फौज है आपके नगरीय निकायों के उन सफाई मित्रों, स्वच्छता दीदीयों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की को जो दिन-रात, आपके शहर, आपके कस्बे, आपके मोहल्ले को साफ करने, डिसिन्फेक्ट करने एवं आपको निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल प्रदान करने में लगे हुए हैं। प्रदेश में 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियाँ, ऐसी परिस्थितियों में भी प्रतिदिन, प्रदेश के घर-घर से 16 लाख किलो कचरा उठा रही हैं। 15 हजार से अधिक सफाई मित्र भोर के साथ ही आपके आस पास के क्षेत्र को साफ करने एवं डिसिंफेक्ट करने हेतु लगातार कार्यरत हैं। ये योद्धा न केवल अपने कर्तव्यों को रोज की भाँति निभा रहे हैं, अपितु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर दो से तीन पालियों में बिना रुके जनता की सेवा में जुटे हुए है। ज्ञातव्य है कि आज पूरे विश्व में कोविड-19 से सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र प्रभावित हैं, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने कमर कस ली है।

भूपेश के निर्देश पर बिलासपुर स्टेशन में फंसे झारखंड के 139 मजदूरों को सकुशल रवाना किया गया

रायपुर। केरल से झारखंड जाने के लिए निकले मजदूर कल रात बिलासपुर स्टेशन पर आकर फंस गये क्योंकि आगे जाने के लिए कोई ट्रेन या बस थी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को मिली।

मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदना की पहल करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि उनको भोजन व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। मुख्य मंत्री के निर्देश पर आज इन मजदूरों को बसों की व्यवस्था कर उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। स्टेशन पर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा के मजदूर भी फंसे हुए थे उन्हें भी गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। एर्नाकुलम-बिलासपुर एक्सप्रेस

से केरल में मजदूरी करने वाले 237 यात्री मजदूर बिलासपुर स्टेशन पर कल रात पहुंचे।

आगे जाने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं थी। सोशल मीडिया के जरिये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ध्यान में यह बात लाई गई। उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को इस सम्बन्ध में निर्देश दिया। उनके निर्देश पर यात्रियों से प्रशासन के अधिकारियों ने सम्पर्क किया। स्टेशन पर ही उनके भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। आज झारखंड के यात्रियों को सकुशल बसों में बिठाकर छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती जिला बलरामपुर भेजा गया। यहां से झारखंड प्रशासन के अधिकारी उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचायेंगे। बसों में बैठने के बाद मजदूरों के चेहरे में राहत प्रसन्नता दिखाई दी।

बेवजह घूमते पाए जाने राजधानी में 70 बाइक, 3 कारें पुलिस ने किए जब्त

रायपुर (आरएनएस)। शासन की गाइडलाइन फॉलो नही करने वाले लोगों को अब पुलिस के डंडे पड़ने शुरू हो गए है। प्रदेश के बिलासपुर,रायपुर और जगदलपुर,धमतरी में पुलिस ने लोगों को शर्मिंदा करने वाले पोस्टर थमाए ताकि उन्हें थोड़ी शर्म आए।

लेकिन बावजूद इसके लोगों कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। बता दे कि 22 मार्च की शाम सीएम ने राज्य में 31 मार्च तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था लोग घरों में ही रहें, किराना, दूध, सब्जी, फल, बिजली, साफ-सफाई, पानी, पेट्रोल, गैस की सुविधाएं चालू रहेंगी।

कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूमने वालों की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। 70 से ज्यादा बाइक और 3 कारे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वाहनों को जब्त करके थाने में रखा गया है और लोगों को उनके घर भेज दिया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई खमतराई थाना क्षेत्र में हुई।

निगम ने गंदगी फैलाने, थुकने पर अभियान चलाकर दुकानों पर जुर्माना एवं स्वच्छता के लिए समझाईश दी

रायपुर (आरएनएस)। आज नगर निगम रायपुर के विभिन्न जोनो द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु शासन, प्रषासन के निर्देष पर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सघन जनजागरण अभियान सभी जोनो में चलाया गया।

गंदगी फैलाने , सार्वजनिक स्थानों पर थुकने प्रतिबंध के बावजूद आपातकालीन समयावधि के दौरान निगम क्षेत्र में दुकान खोलने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया एवं उन्हें स्वच्छता बनाये रखकर नियमो का पालन करने की कडी हिदायत दी गई। अभियान महापौर एजाज ढेबर एवं आयुक्त सौरभ कुमार के निर्देष पर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु निरंतर जारी रहेगा।

जोन 1 अमले ने जोन क्षेत्र में डीआरएम आफिस के सामने शासन के जनस्वास्थ्य हितकारी प्रतिबंध आदेष के बाद खोले गये ठेलो को तत्काल बंद कराकर उनसे कडी हिदायत देते हुए 2000 रू. जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही की गई।

डब्ल्यूआरएस ओव्हर ब्रिज के नीचे दुकाने बंद करने कार्यवाही की गई एवं फल , सब्जी दुकानदारों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु शासन के निर्देषों का पालन करने कडी हिदायत देते हुए वहां फल सब्जी लेने पहुंचे लोगो को समझाईष देते हुए प्रत्येक नागरिक के खडे होने के मध्य की दूरी न्यूनतम 1 मीटर करवायी गयी एवं इस नियम का जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कडाई से पालन करने कहा गया। वार्ड 6 के सब्जी बाजार बालाजी चौक में सब्जी विक्रता द्वारा झिल्ली कचरा फैलाने पर 500 रू. का जुर्माना किया गया एवं भविष्य के लिये कडी चेतावनी उन्हें दी गई। प्रतिबंध के बावजूद वार्ड 16 के षिवानंद नगर में संचालक द्वारा खोली गई मां दुर्गा स्वीट्स दुकान के संचालक पर जोन 1 अमले ने तत्काल 2000 रू. जुर्माना करके प्रतिबंध आदेष का पालन करवाते हुए जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मिठाई दुकान को तत्काल बंद करवाया